



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228581
CG-DL-E-30072021-228581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2801]
No. 2801]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3023(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2536 (ई) दिनांक 30 जुलाई 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के मैसूरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150A के कि.मी. 645.550 से कि.मी. 646.700 (जेवरगी चामराजनगर धारा) तक के भूखण्ड के निर्माण, (चार लेनिंग को चौड़ा करना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१९ अगस्त २०२०" को "विजया वाणी" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150A के कि.मी. 645.550 से कि.मी. 646.700 (जेवरगी चामराजनगर धारा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: मैसूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नंजनगुडू				
	गांव का नाम: चमलापुरा				
1	131 / 3	निजी	ड्राई	0.0352	वयनाड टिम्बर डिपोट ()
2	132 / 1	निजी	नक्	0.0202	न कृष्णामूर्ति S/o रंगण्णा न रामचंद्र रओ नागराजू S/o सुब्बराजू ()
3	132 / 2	निजी	नक्	0.025	म अभिजीत S/o माधव रओ एंड अदर्स ()
4	134 / 2	निजी	नक्	0.0505	सुजाता टेक्सटाइल्स ()
5	134 / 3	निजी	नक्	0.1237	सुजाता टेक्सटाइल्स ()
6	138 / 2	निजी	नक्	0.0303	सुजाता टेक्सटाइल्स ()
7	139 / 2	निजी	नक्	0.1111	सुजाता टेक्सटाइल्स ()
8	140 / 3 C	निजी	नक्	0.0151	सुजाता मिल

					()
9	140 / 4 C	निजी	नक्	0.053	सुजाता मिल ()
10	369	अन्य(गोवत पवत)	नक्	0.303	इ स ी ()
			कुल	0.7671	

[फा. सं. / RW/NH-12014/KNT(3)LA/17-S&R (B)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3023(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 2536 (E) dated 30th July 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening four laning etc.), Maintenance, management and operation of National Highway No 150A on the stretch of land from Km. 645.550 to Km. 646.700 (Jevargi Chamarajanagar Section) in the district of MYSURU in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijaya vani ” and “The Times of India” both dated 19th August 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 645.550 to Km 646.700 (Jevargi Chamarajanagar Section) of the National Highway No 150A in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA District: MYSURU					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nanjanagudu				
	Village: Chamalapura				
1	131 / 3	Private	DRY	0.0352	Wynad timber dipot
2	132 / 1	Private	NAK	0.0202	N krishnamurthy S/o Ranganna N

					Ramachandra Rao Nagaraju S/o Subbaraju
3	132 / 2	Private	NAK	0.025	M Abhijith S/o Madhava rao and others
4	134 / 2	Private	NAK	0.0505	Sujatha Textiles
5	134 / 3	Private	NAK	0.1237	Sujatha Textiles
6	138 / 2	Private	NAK	0.0303	Sujatha Textiles
7	139 / 2	Private	NAK	0.1111	Sujatha Textiles
8	140 / 3 C	Private	NAK	0.0151	Sujatha Mill
9	140 / 4 C	Private	NAK	0.053	Sujatha Mill
10	369	Common(Govt Pvt)	NAK	0.303	E.S.I
			TOTAL	0.7671	

[F. No. RW/NH-12014/KNT(3)LA/17-S&R (B)/3D]

RAJESH GUPTA, Director